संख्या- 05 /2018/ 514/अडतीस-7-2018-134/2015टीसी

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 13 मार्च, 2018**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय चरण के 08 क्लस्टर्स हेतु राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-मनरेगा/श्यामाप्र0मु0रू0मि0/पत्रा0सं0-06/690/2017 दिनांक 26-02-2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-15017/01/2017रूर्बन(एसएलनं0-51), दिनांक: 08-02-2018 द्वारा स्वीकृत 08 क्लस्टर्स (बडोखर, बमरौली, चहलवा, धौरहरा, हलिया, सिलाना, उरला जागीर प्रति क्लस्टर हेतु रू0 5.40 करोड तथा कोदई(ट्राइबल) क्लस्टर हेतु रू0 2.70 करोड मात्र) अर्थात सीजीएफ की प्रथम किश्त की केन्द्रांश की कुल धनराशि रू0 40.50 करोड (रू0 चालीस करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-04/2018-430/अडतीस-7-2018-134/2015टीसी दिनांक 05-03-2018 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

अत: उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा निर्गत केन्द्रांश की धनराशि के समतुल्य अवशेष राज्यांश(60:40) 08 क्लस्टर्स (बडोखर, बमरौली, चहलवा, धौरहरा, हलिया, सिलाना, उरला जागीर प्रति क्लस्टर हेतु रू0 3.60 करोड तथा कोदई(ट्राइबल) क्लस्टर हेतु रू0 1.80 करोड) की धनराशि अर्थात कुल राज्यांश रू0 27.00(रूपये सत्ताइस करोड मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने हेतु निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-213/2017, दिनांक 03-08-2017 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा योजना के मार्ग-निर्देशों/नियमों में उल्लिखित, व्यवस्था/प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग निर्धारित मद में नियमानुसार किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों को आवश्यकतानुसार निर्धारित/अनुमन्य मदों मे उपलब्ध करायी जायेगी।

5- कोषागार से धनराशि का आहरण मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत् शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनान्तर्गत निर्धारित मद में वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा आंकडों की शुद्धता का दायित्व अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक: 20 नवम्बर, 2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं वित्त विभाग के अशा0 संख्या- यूओ-ई-2-268/X-18 दिनांक 10-03-2018 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

<u>संख्या- 05/2018/514(1)/अइतीस-7-2018 तददिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार(रूर्बन डिवीजन), कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मण्डलायुक्त, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, विन्ध्याचल, बरेली तथा देवीपाटन मण्डल, उत्तर प्रदेश।
7. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, जनपद इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, बरेली, श्रावस्ती, बागपत एवं सोनभद्र, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग-1/2
11. विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।